

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 131 /2021

उनवान

श्रीमती गीता देवी पति भगवान खारोल निवासी कल्याणपुरा(कादीसहना) तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीया

बनाम

- 1- भोपाललाल पुत्र देवीलाल धाकड़ निवासी गणेशपुरा तहसील कोटडी
- 2- श्रीमती सुमित्रादेवी पति महादेव तेली निवासी भैरूनाथ कॉम्प्लेक्स के पास, कजिलंजरी गेट शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री पन्ना लाल खारोल  
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 14 /07 /2021

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीया ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 792 रकबा 0.285 कुल किता 1 रकबा 0.285 हैक्टेयर की प्रार्थीया सहखातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० 1 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की प्रार्थीया सहखातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणपुरा में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त सहखातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.285 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक क्लर्क

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

एवं सहायक क्लर्क

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.